सं0-51/2016/345/12-3-2016-88/04टी.सी.

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 30 मार्च, 2016**

विषय:- फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन आंकडों का डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस.-2288/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2015-16, दिनांक 3.3.2016 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन के आंकडों का डाटा बैंक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय हेतु निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0-3434 हजार (रू. चौंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रू. में)

लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान 2015-16	स्वीकृत की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषिकर्म-आयोजनागत-111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी- 05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	02-मजदूरी	7000	-
	07-मानदेय	7000	-
	08-कार्यालय व्यय	1500	750
	11-लेखन सामग्री और प्रपत्रों की छपाई	2200	450
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भगतान	48790	-
	29-अनुरक्षण	500	250
	42-अन्य व्यय	4200	-
	44-प्रशिक्षण व्यय	300	-
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3168	1584
	47-कम्प्यूटर अनु./तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1600	400
	योग	**76258**	**3434**

(रू. चौंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1870/12-3-14-88/2004टी.सी., दिनांक 14.8.2014 द्वारा अनुमोदित कार्य योजना तथा शासनादेश संख्या-1088/12-3-15-88/2004टी.सी., दिनांक 23.7.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/ 2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के ''लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी -05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक योजनान्तर्गत'' उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

<u>सं0-345(1)/12-3-2016-तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन,लखनऊ ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा) कृषि भवन,लखनऊ ।
8- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- कम्प्यूटर सहायक कृषि अनुभाग-3/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in